कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 280 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 31/07/ 2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद– अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्ताव सं0–38787 / 2019।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1550 / 1जी0–5095 (रा0रा0प्रा0) दिनांक 28.12.2022।

महोदय,

भारत सरकार के संदर्भित पत्र की आपत्तियों के निस्तारण में आपके द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर में भारत सरकार की पत्र मंशा के अनुसार निम्नवत बिन्दुओं में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है–

1– क्या चैलछीना गॉव पूर्व में किसी मोटर मार्ग से जुडा है या नहीं। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में स्थिति अस्पष्ट है।

2– भारत सरकार के पत्र में उक्त प्रस्ताव में आपके द्वारा निरीक्षण कर, जॉच आख्या / निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु आपके द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, साथ ही उक्त प्रमाण पत्र में भी प्रस्तावित मार्ग के औचित्य की स्थापना नहीं हो रही है। अतः निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

3– आपका कथन है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से आच्छादित गॉव से तहसील मुख्यालय जैंती की दूरी कम हो जायेगी, परन्तु दूरी कितनी कम हो जायेगी, इसका कोई उल्लेख नही है।

अतः आपको प्रस्ताव की सभी प्रतियां इस आशय से लौटायी जा रही है कि ऊपर वर्णित समस्त सूचनाओं / आख्याओं को सम्मिलित कर अपने स्पष्ट मनतव्य के साथ संरेखण के समस्त गुण / दोष के आधार पर स्पष्ट अंकित करते हुए निरीक्षण आख्या पुनः उपलब्ध कराये।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।